

ई-गवर्निंग - भारत

65/15

दिनांक	आज्ञा पत्र
9.9.21	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 30.9.21 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 8.12.21 को पेश हो।
8.12.21	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 30.9.21 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 8.2.22 को पेश हो।
8.2.22	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 6.4.22 को पेश हो।
26.4.22	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 11.7.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 11.7.22 को पेश हो।
12.7.22	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 11.7.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 11.7.22 को पेश हो।
11.11.22	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... 30.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक... 7.2.22 को पेश हो।
7.2.23	पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हितायल दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तापील से शेष रेस्पोंडेंस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रेस्पोंडेंस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तस्तीव तकमील दाखिल दफतर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प शुन्धानु)